



संख्या: NIIRNCD/E/ST/CondemnationOfITEquipment/2022

दिनांक: 24.09.2026

नीलामी सूचना (Auction Notice)

सूचित किया जाता है कि इस संस्थान परिसर में रखे हुए अनुपयोगी/कंडम लॉट-1: आईटी उपकरण (IT Equipment) की नीलामी "जहाँ है, जैसा है, जिस स्थिति में है" (As is where is basis) के आधार पर सीलबंद निविदा (Sealed Bid) आमंत्रण प्रणाली द्वारा की जानी तय हुई है। इच्छुक एजेंसियां/बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी बोलियाँ जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण समय-सारणी एवं तिथियाँ (Schedule of Auction)

- सामग्री के निरीक्षण की अवधि: दिनांक 25.09.2026 से दिनांक 06.10.2026 तक (केवल कार्य दिवसों में) प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक।
- धरोहर राशि (EMD) जमा करने की तिथि एवं समय दिनांक 06.10.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक। राशि संस्थान की रोकड़ शाखा में नकद/डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर/बैंक गारंटी के माध्यम से, Director, ICMR-NIHR, Jodhpur के पक्ष में जमा कराई जाएगी।
- सीलबंद निविदा (लिफाफा) जमा करने की तिथि एवं समय: दिनांक 06.10.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक संस्थान के भण्डार शाखा में।
- सीलबंद बोलियाँ खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक 06.10.2026 को दोपहर 03:00 बजे संस्थान के सभागार/कार्यालय में।

लॉट का विवरण (Details of Lots)

लॉट संख्या	सामग्री का विवरण (Description)	धरोहर राशि (EMD)
लॉट - 1	आईटी उपकरण (IT Equipment) (जैसे: पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनिटर, यूपीएस, केबल आदि)	₹ 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार मात्र)



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

बोलीदाताओं के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें (Detailed Terms & Conditions):

1. बोलीदाताओं की पात्रता एवं सामान्य नियम (Eligibility & General Rules)

- 1.1 नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता का भारतीय नागरिक होना या भारत में पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है।
- 1.2 सभी बोलीदाताओं को अपनी निविदा के साथ वैध पहचान पत्र जैसे- पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) या जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (GSTIN) की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि (Self-Attested Copy) संलग्न करना अनिवार्य है।
- 1.3 निविदा में भाग लेने वाली फर्म/व्यक्ति द्वारा एक उपक्रम (Undertaking) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसे किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट (Blacklist) या प्रतिबंधित (Debarred) नहीं किया गया है।

2. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit - EMD) संबंधी शर्तें

- 2.1 इच्छुक खरीददार को नीलामी से पूर्व निदेशक, एनआईएचआर, जोधपुर के नाम से लॉट-1 (आईटी उपकरण) के लिए ₹ 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार मात्र) और के लिए निर्धारित राशि संस्थान की रोकड़ शाखा में जमा करानी होगी।
- 2.2 रोकड़ शाखा में नकद जमा करने के पश्चात प्राप्त मूल रसीद को सीलबंद लिफाफे के भीतर अपनी वित्तीय बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना वैध ईएमडी रसीद के प्राप्त किसी भी निविदा को बिना खोले ही खारिज (Reject) कर दिया जाएगा।
- 2.3 असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि पूरी नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- 2.4 सफल बोलीदाता (H1) को ईएमडी राशि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि वह बोली की कुल देय राशि जमा नहीं कर देता। पूरी राशि जमा होने पर ही ईएमडी मुक्त की जाएगी।



3. निविदा/बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Submission of Bids)

3.1 द्वि-लिफाफा प्रणाली (Two Packet Bid):

1. तकनीकी बोली (Technical Bid)
2. वित्तीय बोली (Financial Bid)

केवल तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदा कारों की वित्तीय बोली खोली जाएगी।

3.2. तकनीकी बोली पात्रता मानदंड हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. बोलिदाता फर्म/प्रोपराईटर का वैध पैन कार्ड (PAN Card) |
2. बोलिदाता फर्म का वैध जीएसटी पंजीकरण (वैकल्पिक) |
3. बोलिदाता फर्म वैध "Authorized E-waste Recycler/Dismantler" का पंजीकरण प्रमाणपत्र |
4. Annexure I (नॉन ब्लैकलिस्टिंग शपथ-पत्र)
5. Annexure-II (आईटी उपकरणों के नियमानुसार निस्तारण (Disposal) हेतु शपथ-पत्र)
6. Annexure-III (बोलीदाता द्वारा निरीक्षण एवं वस्तुओं का सत्यापन के सम्बन्ध में शपथ पत्र कर लिया है। निर्धारित समय में स्क्रेप का उठाव न करने पर EMD जब्त की जा सकती है।)
7. Annexure-IV (बोलिदाता द्वारा निकट संबंधी के ICMR-NIHR, जोधपुर में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र)

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित (Self-attested) वैध प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 बोलियाँ केवल संलग्न अनुबंध 'A' (Annexure-A) के निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार की जाएंगी।
बोली की दरें स्पष्ट अक्षरों और अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए।

3.4 निविदा को एक मोटे लिफाफे में बंद कर उस पर स्पष्ट रूप से "लॉट-1 (आईटी उपकरण) की खरीद हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।



icmr | **NIHR**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

3.5 तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में रखा जाएगा तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में संलग्न किया जाएगा। बड़े लिफाफे पर निविदा का शीर्षक स्पष्ट रूप से अंकित (Superscription) करना अनिवार्य होगा।

3.6 कोई भी सशर्त बोली (Conditional Bid) अथवा अपूर्ण रूप से भरी गई बोली (जैसे- हस्ताक्षर न होना, काट-छाँट होना) को पूर्णतः अमान्य मानते हुए खारिज कर दिया जाएगा।

3.7 निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय (दोपहर 01:00 बजे) के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही देरी का कारण डाक या कोई अन्य व्यवधान हो।

4. सामग्री निरीक्षण संबंधी नियम (Inspection of Materials)

4.1 इच्छुक बोलीदाता निर्धारित तिथियों और समय के भीतर संस्थान परिसर में जाकर स्वयं सामग्रियों का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए वे भण्डार प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। तय किये गए निरीक्षण काल के अतिरिक्त एवं निविदा खोलने के समय किसी भी बोलीदाता को सामग्री निरीक्षण की अनुमति नहीं होगी।

4.2 एक बार बोली लगाने के बाद यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने सामग्री की भौतिक स्थिति, वजन, मात्रा और गुणवत्ता का आकलन अपनी संतुष्टि के अनुसार कर लिया है। नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस संबंध में कोई भी शिकायत, विवाद या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. सफल बोलीदाता का चयन एवं भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

5.1 अनुपयोगी आईटी उपकरण का आवंटन सर्वाधिक ऊँची बोली लगाने वाले (Highest Bidder - H1) बोलीदाता को किया जाएगा।

5.2 जिस खरीददार के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी, उसे कुल बोली राशि (GST एवं अन्य लागू करों सहित) की सम्पूर्ण रकम ऑक्शन परिणाम जारी होने के पश्चात 3 दिन के भीतर संस्थान में जमा करानी होगी। जिसके पश्चात ही नीलाम सामग्री को संस्थान से ले जाने की अनुमति होगी।

5.3 यह सम्पूर्ण भुगतान केवल "Director, ICMR-NIHR, Jodhpur" के नाम से देय होगा एवं केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आइ सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

5.4 यदि सफल (H1) बोलीदाता निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जमा ईएमडी राशि पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में संस्थान दूसरी रैंक (H2) के खरीददार को माल आवंटित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. निर्धारित समयावधि में सामग्री उठाना (Lifting Period & Deadline)

6.1 सफल बोलीदाता को पूरी राशि और टैक्स जमा करने के पश्चात आवंटित माल दिनांक संस्थान द्वारा दिये गए कार्यादेश के प्राप्ति के पश्चात 5 दिवस (कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे) (केवल कार्य दिवसों में) के भीतर आवश्यक रूप से संस्थान परिसर से उठाना होगा।

6.2 इस निर्धारित समयावधि (Period) के बीत जाने के बाद माल उठाने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और न ही खरीददार द्वारा जमा की गई कोई राशि वापस लौटाई जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद छोड़े गए माल पर खरीददार का कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा और संस्थान उस माल को जब्त कर दूसरी फर्म को देने या पुनः नीलाम करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6.3 माल लोड करने, उठाने, तौलने और परिवहन (Transportation) का पूरा प्रबंध और खर्च खरीददार को स्वयं अपने स्तर पर करना होगा। इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा कोई श्रमिक, क्रेन या वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

7. भारत सरकार के नियमानुसार सुरक्षित निपटान (Safe Disposal Clause)

7.1 आईटी उपकरणों का निपटान (लॉट-1): चूंकि लॉट-1 में कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस और केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, अतः इनका निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम (E-Waste Management Rules) के तहत किया जाना अनिवार्य है।

7.2 सफल बोलीदाता के पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) द्वारा जारी वैध "Authorized E-waste Recycler/Dismantler" का पंजीकरण होना आवश्यक है।



icmr | **NIHR**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

7.3 खरीदे गए माल (लॉट-1) को रीसायकल, नष्ट या डिस्पोज (Dispose) करने की पूरी कानूनी, वित्तीय और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पूरी तरह से खरीददार की होगी। यदि भविष्य में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, तो उसके लिए खरीददार स्वयं उत्तरदायी होगा और संस्थान की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. क्षतिपूर्ति एवं दुर्घटना संबंधी सुरक्षा शर्तें (Indemnity & Safety)

8.1 माल उठाने और लोड करने के दौरान खरीददार द्वारा लगाए गए श्रमिकों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना, चोट, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में संस्थान किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। श्रमिकों की सुरक्षा का पूरा दायित्व खरीददार का होगा।

8.2 यदि माल उठाते समय खरीददार या उसके श्रमिकों द्वारा संस्थान की किसी इमारत, दीवार, बिजली के पोल, सरकारी वाहनों या किसी अन्य संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसकी भरपाई सफल बोलीदाता की जमा राशि से की जाएगी। इसके अतिरिक्त गंभीर नुकसान की स्थिति में उसे नीलामी अधिकारों से तुरंत वंचित कर कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

9. गुटबाज़ी और धोखाधड़ी पर रोक (Anti-Cartelization & Fraud Prevention)

9.1 यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाताओं ने आपस में मिलकर बोली की कीमतें कम रखने का प्रयास किया है (Cartel formation/Pool bidding), तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को पूरी नीलामी प्रक्रिया को तुरंत निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9.2 किसी भी बोलीदाता को अपनी बोली (Bid) जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने या बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बोलीदाता ऐसा करता है, तो उसकी धरोहर राशि (EMD) बिना किसी सूचना के तुरंत जब्त कर ली जाएगी।

10. माल की तौल और मात्रा संबंधी स्पष्टीकरण (Weighment & Quantity Dispute)

10.1 यह नीलामी "एकमुश्त लॉट" (Lump-sum Lot) के आधार पर हो रही है। संस्थान द्वारा किसी भी सामग्री के वजन, संख्या या माप की गारंटी नहीं दी जाती है।



10.2 सफल बोलीदाता माल उठाने के समय यह दावा नहीं कर सकता कि माल उम्मीद से कम है या उसकी गुणवत्ता खराब है। माल उठाने के बाद वजन या मात्रा में किसी भी कमी की शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही कोई वित्तीय छूट (Refund) दी जाएगी।

11. टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क (Taxes & Duties)

11.1 बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई बोली की राशि के अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी (GST @as applicable) और टीसीएस (TCS @ 2% - Tax Collected at Source) (यदि लागू हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को अपने पास से अलग से करना होगा।

11.2 टैक्स की गणना सफल बोली की कुल राशि पर की जाएगी और इसे अंतिम भुगतान के समय ही डिमांड ड्राफ्ट (DD) के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

12. परिसर की सुरक्षा और आचरण (Security and Code of Conduct)

12.1 माल उठाने के लिए आने वाले सभी श्रमिकों और वाहनों का विवरण (जैसे- नाम, driving license, वाहन संख्या) मुख्य द्वार पर सुरक्षा अधिकारी के पास दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

12.2 संस्थान परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता या अनधिकृत क्षेत्रों में प्रवेश करने पर खरीददार के श्रमिकों को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और सफल बोलीदाता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

13. संस्थान के विशेषाधिकार एवं विवाद निवारण (Jurisdiction)

13.1 संस्थान के सक्षम प्राधिकारी (निदेशक) के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, अथवा संपूर्ण नीलामी



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

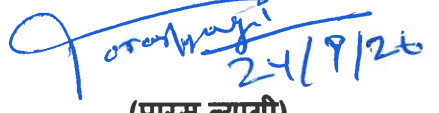
NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आइ सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर स्थगित या निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम
और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

13.2 इस नीलामी प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद या मतभेद की
स्थिति में न्यायिक क्षेत्र केवल जोधपुर (राजस्थान) न्यायालय ही होगा।


(पारस त्यागी)

~~वरिष्ठ~~ प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:

1. संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत प्रकाशन हेतु।
2. मुख्य सूचना पट्ट (Notice Board), एनआईएचआर , जोधपुर।
3. Security In-charge, संस्थान परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
4. गार्ड फाईल, एनआईएचआर , जोधपुर।



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

Annexure-A

Financial Bid

S.No.	Particulars	Quoted Price (INR)
1	Rates for IT scrap (Lot-1) (excluding GST and TCS)	

Note:

- उद्धृत दरों (Quoted Price) के अतिरिक्त, लागू जीएसटी (GST as applicable) एवं टीसीएस (TCS) वास्तविक दरों के अनुसार पृथक रूप से देय होंगे।
- सशर्त बोली (Conditional Bid) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।



icmr | **NIHR**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

Annexure-I

Undertaking that the Agency has not been blacklisted in last three years

(To be submitted on the Letterhead of the responding Agency)

Ref. No.

Date -

To

The Director,

ICMR-National Institute of Health Research (NIHR),

New Pali Road, Jodhpur – 342005 (Rajasthan).

Subject: Self Declaration of not been blacklisted in response to the Bid for Auction of the IT equipment (Lot-1) at ICMR-NIHR, Jodhpur, Rajasthan.

Sir,

I confirm that my agency, M/s. _____ is not blacklisted in any manner whatsoever by any of the State/UT and/or Central Government in India in last three years on any ground including but not limited to indulgence in corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice.

Further it is confirmed that there is no legal incapacity that will bar the Bidder from entering into a Contract or Agreement or to undertake the specified Scope of Work.

Place:

Date:

Bidder's Company Seal:

Authorized Signatory's Signature:

Authorized Signatory's Name and Designation:



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

जाइ सा एन जाइ - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

Annexure-II

Undertaking regarding disposal of the IT equipment as per the guidelines issued by the
CPCB or State PCB

(To be submitted on the Letterhead of the responding Agency)

Ref. No.

Date -

To

The Director,
ICMR-National Institute of Health Research (NIHR),
New Pali Road, Jodhpur – 342005 (Rajasthan).

Subject: Self Declaration of disposal of the IT equipment as per the guidelines issued by the
CPCB or State PCB in response to the Bid for auction of IT equipment at NIHR, Jodhpur

Sir,

I/We hereby declare that, in response to the Bid for auction of IT equipment at NIHR, Jodhpur, all IT equipment/e-waste purchased by us shall be disposed of strictly in accordance with the guidelines and regulations issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) and/or the concerned State Pollution Control Board (State PCB), as amended from time to time.

I/We further undertake that the e-waste will be handled and disposed of only through authorized recyclers/dismantlers, ensuring full compliance with all applicable environmental laws and regulations.

I/We accept full responsibility for any violation in this regard.

Place:

Date:

Bidder's Company Seal:

Authorized Signatory's Signature:

Authorized Signatory's Name and Designation:



icmr | **NIHR**
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

आई सी एम आर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

Annexure-III

Undertaking regarding disposal of the IT equipment as per the guidelines issued by the
CPCB or State PCB

(To be submitted on the Letterhead of the responding Agency)

Ref. No.

Date -

To

The Director,

ICMR-National Institute of Health Research (NIHR),

New Pali Road, Jodhpur – 342005 (Rajasthan).

Subject: Self Declaration for Site Visit, Inspection of Items Condemned Items (Lot-1) and
Acceptance of EMD Forfeiture Clause.

Sir,

I/We hereby undertake that I/we have visited the site at NIHR, Jodhpur and have physically
inspected and verified the items/scrap offered for auction. I/We confirm that I/we am/are
fully aware of the condition, quantity, and nature of the materials and am/are participating
in the bid accordingly.

I/We further undertake that, in case of being declared as the successful bidder, I/we shall
lift the entire scrap within the stipulated time as per the terms and conditions of the Bid.

In the event of failure to lift the scrap within the prescribed time, I/we understand and
agree that the Earnest Money Deposit (EMD) is liable to be forfeited.

Place:

Date:

Bidder's Company Seal:

Authorized Signatory's Signature:

Authorized Signatory's Name and Designation:



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIHR
NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH RESEARCH, JODHPUR

जाइ सा एन जार - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Health Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

ANNEXURE-IV

DECLARATION FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN ICMR-NIHR,
JODHPUR

(To be submitted by the Bidder on their Letterhead)

I.....S/oSh.....R/o.....

.Hereby certify that none of my relative (s) as defined in the Bid document is/are employed in ICMR-NIHR, Jodhpur as per detail given below. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, ICMR-NIHR shall have the absolute right to take any action as deemed fit, without any prior intimation to me.

Signature of the Bidder with seal

The near relative (s) means:

a) Members of a Hindu Undivided family;

b) Spouse.

c) Father, mother, sister, Sister-in-law, Daughter, Daughter-in-law, brother, brother-in-law etc.

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company or firm or any other person, the Bid/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be forfeited at any stage whenever it is so noticed. The department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further participation in the concerned unit.

Signature of Bidder/Authorized Signatory

Place:_____

Date:_____

Name of the Bidder

Seal of the Bidder

